Part II MOU.

U. IV मौर्यों का केन्द्रीय प्रशासन

①

Q. Give an acount of the central administration under the Mauryans.

Ans — मगध के नंद वंश के केन्द्र पर उदित मौर्य साम्राज्य न केवल अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध है बरन अपनी शासन व्यवस्था के लिए भी विख्यात है। तद्युगीन शासन व्यवस्था का विस्तृत परिचय हमें कौटिल्य के अर्थ शास्त्र ग्रीक यात्रियों व राजदूत का परिचय हमें कौटिल्य के अर्थ शास्त्र ग्रीक यात्रियों व राजदूतों का विवरण तथा बौद्ध साहित्यों से मिलता है। वहाँ प्राचीन भारत को विशाल साम्राज्य के लिए जिस पद्धति का विकास हुआ कतिपय परिवर्तन के साथ वही बाद के देशों में भी वही प्रयुक्त होती रही। राजा यद्यपि निरंकुश सर्व सत्ता धारी था फिर भी वह मंत्रि परिषद उसके स्वेच्छाचारिता एवं स्वच्छंदता पर नियंत्रण रखती थी। जाति जनपद श्रेणी कुल आदि मानव संगठनों में जो परंपरागत कानून थे। राजा उनकी उपेक्षा और अतिक्रमण नहीं कर सकता था।

अर्थ शास्त्र से ज्ञात होता है कि शासन कार्यालय का पूरा विकास और संगठन हो चुका था। विभिन्न विभागों के बड़े बड़े अधिकारी अध्यक्ष कहे जाते थे जिनका पद अमात्य के बराबर होता था। शासन की क्षमता कार्यालय पर निर्भर होता था। इसलिए कौटिल्य कहते हैं कि शासन ही सरकार है।

दूर अवस्था शासन की सुविधा की दृष्टि से मौर्य साम्राज्य को पांच प्रांतों में विभाजित किया गया था। यथा उत्तरापथ या उत्तरा चक्र पश्चिमी चक्र दक्षिणा पथ या दक्षिणी चक्र कलिंग और मध्य प्रदेश या मध्य चक्र। इन चक्रों का शासन चलाने की सर्वोपरिता ही होती थी और वह कुमार का नियुक्ति करता था।

इन चक्रों को मण्डलों में विभक्त किया गया था। कुमार के अधीन (महामात्य इन पर शासन करते थे। मगध सम्राट की ओर से जो आभार्य प्रचलित की जाती थी चक्रों के कुमारों के महामात्यों के नाम होते थे। पर मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी सम्राट स्वयं शासन करता था।

मण्डलों को जनपदों में विभाजित किया गया था। (कुमार के अधीन महामात्य इन पर शासन करते थे मगध सम्राट की ओर से जो आभार्य प्रचलित की जाती थी) जो ग्रामों से मिलकर बने थे। दस ग्रामों को समूह इकाई को संग्रह तथा बीस संग्रहों से एक खार्वटिक बनता था। दो खार्वटिकों से एक द्रोण मुख और द्रोण मुखों से एक एक स्थानीय बनता था। स्थानीय के भिन्न जन संख्या के अनुसार बदलते रहता था। स्थानीय को स्थानीय कहा जाता था। सम्पूर्ण जनपद के शासन को समाहर्त्ता कहते थे। समाहर्त्ता के ऊपर महामात्य थे। जो चक्रों के अन्तर्गत विभिन्न मंडलों के शासन करने के लिए नियुक्त किये जाते थे।

इस प्रकार सम्पूर्ण मौर्य साम्राज्य का एक शसक्त केन्द्रीय शासन के अधीन था। यद्यपि प्रशासन विभिन्न चक्रों में विकेन्द्रित था। पर अधिकांश शक्तियां केन्द्र के ही अधीन थी। शासन कार्य में सहायता के लिए मंत्रि परिषद थी। केन्द्रीय शासन की ओर से नियुक्त किये जाने वाले राज्य कर्मचारियों को पुरुष कहा जाता था। इनके तीन स्तर उत्तम, मध्यम और निम्न थे। जन पद समूहों (मण्डलों) पर शासन करने वाले महामात्यों की प्रतिष्ठा की संज्ञा दी

Scanned with CamScanner

विभिन्न भागों में विभाजित था। जिन्हें कौटिल्य मौर्य कालीन केन्द्रीय शासन व्यवस्था के अनुसार तीर्थ कहा जाता था। और उनकी संख्या अठारहवीं तथा प्रत्येक तीर्थ के एक महामात्य के अधीन रहा था। राजा और मंत्री पुरोहित के सहयोग से अन्य राज्य कर्मचारियों की परीक्षा लेता था।

शासन में अनेक प्रकार के पदाधिकारी होते थे। जिनका महत्व पूर्ण स्थान इनके अलावा मौर्य सेनापति नायक, व्यवहारिक, कर्मान्तिक, मंत्रीपरिषद अध्यक्ष, दण्डपाल, अन्त पाल, दुर्ग पाल, नागरिक प्रशास्ता, दौवारिका, अंतर्वशिक, आरविक आदि।

न्याय व्यवस्था जहाँ तक मौर्य की अच्छी प्रकार व्यवस्थित थी अर्थ शास्त्र अनुसार न्यायालय दो वर्गों धर्म स्थीय व न्यायालय के न्याया धीश धर्मस्थ या व्यवहारिक तथा कंटक शोधन को प्रदेष्टा कहलाते थे। कंटक शोधन न्यायालय में राज्यों के हानि पहुंचाने वाले मामलों की सुनवायी होती थी। विभिन्न अपराधों के लिए विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न दंड थे। मृत्यु दंड जुर्माना तथा अंग भंग किये जाते थे। डा० स्मिथ ने लिखा है कि - The Mauryan Govt. in Short was highly organised and thoroughly efficient. It anticipated in many respects the institution of modern times.

~~पौर तथा~~ जनपद की राजधानी को पौर तथा शेष "जनपद" को जनपद कहा जाता था। कौटिल्य के अर्थ शास्त्र के मध्य: प्रशासन प्रकाश में विजित राजा की विजीत प्रदेशों में क्या नीति हो इसका विवरण देते हुए कहा है कि "नये जीते हुए प्रदेशों में राजा को चाहिए की अपने को जनताप्रिय बनाने के लिए

प्रयत्न करे। जनता के विरुद्ध आचरण करने वाले का विश्वास नहीं किया जा सकता। अतः राजा उसके समान ही अपना शील वेश भाषा और आचार बना लें। देश की देवताओं समाजों उत्सवों और विहारों का आदर करें और अनेक धर्म और व्यवहार चरित्र का उल्लंघन न करें।

बहर हाल के मौर्य कालीन नगरों एवं स्थानीय स्वशासन का परिचय हमें यूनानी राजनीतिज्ञ व लेखक मेगास्थनीज के विवरण से मिलता है नगर का शासक नागरक कहलाता था शासक की सुविधा के लिए नगर को अनेक उप विभागों में विभाजित किया जाता था उनके अधिकारियों को स्थानीय या गोप कहा जाता था।

जहाँ तक ग्राम शासन व्यवस्था का सवाल है ग्राम सभा की दृष्टि से पूर्ण व स्वतंत्र इकाई था ग्राम संस्थाओं के अध्यक्ष ग्रामिक कहलाते थे जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त थे इन्हें न्यायायिक अधिकार प्राप्त था दोषी को दंड दे सकता था अथवा ग्राम से निकाल सकता था। केंद्रीय शासन की ओर से नियुक्त अधिकारी गोप कहलाता था जिसका काम ग्रामों की सीमाओं का निर्धारण करना जनगणना करना एवं भूमि का विभाजन करना था। इसके अलावा ग्राम संस्था निम्न लिखित कार्यों का भी सम्पादन किया करती थी यथा अपराधियों को दंड देना जुर्माना वसूल करना लोगों की सम्पत्ति का इंतजाम करना और देव स्थानों की सम्पत्ति का प्रबंध, सड़क, पुल आदि का निर्माण कार्य। मौर्य कालीन केन्द्रीय शासन व्यवस्था कर पृष्ठभूमि पर

(5)

आधारित था। केन्द्र का प्रधान सम्राट होता था। सेना न्यायालय का शासन व्यवस्था से सम्बंधित उसके तीन प्रमुख कर्तव्य थे। इन कर्तव्यों को करने वाले पदाधिकारियों की नियुक्ति तथा उसके कार्यों के विषय में राजा का निर्णय उसका सर्वोपरि था। सम्राट को अपने कर्तव्य में सहायता देने के लिए सचिव होता है। इसके अभाव में परिषद में पदाधिकारी की नियुक्ति कि जाती थी जो गाँव व नगर में जाकर खुद रूप से सम्राट के शासन का पता लगाते थे।

इस तरह से मौर्य का शासन व्यवस्था उच्च कोटि की थी। मौर्य प्रशासन बहुत ही सुगठित था। समस्त शासन में राजा की स्थिति केन्द्रीय थी। वह मंत्रीयों अमात्यों एवं अनेक उच्च पदाधिकारियों की सहायता से शासन कार्य सम्पादित करते थे। यह सच है कि प्रान्तों के शासन पृथक होते थे। न्याय व्यवस्था सुव्यवस्थित था। फौजदारी न्यायालय ~~स्थानीय व कस्बात भी~~ केन्द्र शीघ्रता व मामलों के न्यायालय धर्म स्थानीय कस्बात के साथ ही नगरों में नगर समितियां होती थी और गांवों में ग्रामीण महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे।

The End